2025:CGHC:16015

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1806/2019

तरुण सेन पिता अशोक सेन ,आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी– वार्ड क्रमांक 8, डाक बंगला, आवासपारा, थाना– गरियाबंद छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः मजिस्ट्रेट, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलार्थी की ओर से : श्री अनुराग खत्री, अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से : श्री ऋषभ सिंह देव, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

बोर्ड पर आदेश

04.04.2025

1. उभयपक्ष की सम्मति से प्रकरण की अंतिम सुनवाई की जाती है।

2. यह दाण्डिक अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन प्रस्तुत की गई है, जिसे अपीलार्थी ने विद्वान विशेष न्यायाधीश (अत्याचार), रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 27/2018 में दिनांक 27.09.2019 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत किया है, जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी को निम्नानुसार सिद्धदोष व दण्डित किया गया है:–

दोषसिद्धि	**दण्डादेश**
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(एन) के अधीन	10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 2000/– रुपये का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर 03 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 06 के अधीन	10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 2000/– रुपये का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर 03 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
दोनों दण्डादेशों को साथ– साथ चलाने हेतु निर्देशित किया गया है।	

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि पीड़िता के पिता ने दिनांक 12.07.2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 08.07.2018 को उसकी पुत्री लगभग 12 बजे अपने घर से यह कहकर गई है कि वह अपनी दादी के घर जा रही है। परंतु कुछ समय पश्चात जब वह उसे देखने गया तो वह वहां नहीं थी और तत्पश्चात उसने उसे पड़ोस में खोजा, किंतु वह नहीं मिली। आगे खोजबीन करने पर उसकी सहेली काजल नागेश ने उसे बताया कि उसने उसे अभियुक्त अपीलार्थी के साथ जाते हुए देखा है। इसके बाद ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अपीलार्थी भी उसी दिन से लापता है। इन परिस्थितियों के आधार पर पीड़िता के पिता को संदेह है कि अभियुक्त अपीलार्थी उसकी पुत्री को बहला–फुसलाकर ले गया है। दिनांक 18.07.2018 को पीड़िता को दुर्ग से अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किया गया।

4. अभियोजन ने अपना प्रकरण साबित करने हेतु कुल 14 साक्षियों का परीक्षण कराया। अपीलार्थी का कथन भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रस्तुत समस्त अभियोगात्मक साक्ष्यों को अस्वीकार किया, स्वयं को निर्दोष बताया और झूठे आरोप में फँसाए जाने का अभिवाक किया। यद्यपि, उसके समर्थन में किसी की भी परीक्षण नहीं कराया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. पक्षकारो के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना करने के उपरांत, विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.09.2019 के आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त अपीलार्थी को इस निर्णय में वर्णित अनुसार सिद्धदोष व दण्डित किया । अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 27.09.2019 का आक्षेपित निर्णय विधि, तथ्यों और प्रकरण की परिस्थितियों के विपरीत, अनुचित, त्रुटिपूर्ण है। पीड़िता ने स्वयं अपने परीक्षण में कथन किया है कि उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, इसके अतिरिक्त कोई भी वैध दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि घटना के समय पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी। अभियोजन के साक्ष्यों ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और वे अपने कथन से पक्षद्रोही गए हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दर्ज केस डायरी कथन तथा न्यायालयीन कथन में वृहद विरोधाभास और लोप हैं, जिन का अवलंब नहीं किया जा सकता है। अतः वह दिनांक 27.09.2019 के आक्षेपित निर्णय को खारिज करने की प्रार्थना करते है और अपीलार्थी को न्याय के हित में उसके विरुद्ध विरचित समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया और संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया। उनका तर्क है कि अभियोक्त्री घटना की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क बालिका थी। इस प्रकार, यद्यपि अपीलार्थी व अभियोक्त्री के मध्य संबंध था, अपीलार्थी द्वारा किया गया कृत्य

उसे उपरोक्त धाराओं के अधीन दोषसिद्धि हेतु उत्तरदायी बनाता है। अतः आक्षेपित निर्णय पूर्णतः विधि सम्मत है तथा वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तारपूर्वक सुना है, तथा अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

9. **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94** में आयु के उपधारण के अवधारण का प्रावधान है। यह निम्नानुसार है:

94. आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारण–

(1) जहां बोर्ड या समिति को, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन (साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न) उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की प्रतीति के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त व्यक्ति बालक है तो समिति या बोर्ड बालक की यथासंभव सन्निकट आयु का कथन करते हुए ऐसे संप्रेषण को अभिलिखित करेगा और आयु की और अभिषुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना, यथास्थिति, धारा 4 या धारा 36 के अधीन जांच करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) यदि समिति वा बोर्ड के पास इस संबंध में संदेह होने के युक्तियुक्त आधार है कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो, यथास्थिति, समिति वा बोर्ड, निम्नलिखित साक्ष्य अभिप्राप्त करके आयु अवधारण की प्रक्रिया का जिम्मा लेगा–

(i) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में

(ii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र;

(iii) और केवल उपरोक्त के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जाएगा

परंतु समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई ऐसी आयु अवधारण जांच ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पूरी की जाएगी।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा उसके समक्ष इस प्रकार लाए गए व्यक्ति की अभिलिखित आयु, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति की सही आयु समझी जाएगी।

10. अभियोक्त्री की आयु पर विचार करने हेतु, इस न्यायालय को अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य/सामग्री का परीक्षण करना है। अभियोजन ने मुख्य रूप से दाखिल खारिज पंजी (प्रमाण पत्र पी–17) का अवलंब लिया है, जिसमें अभियोक्त्री की जन्म तिथि 10.04.2001 अंकित है। अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि केवल प्रथम श्रेणी की अंकसूची के आधार पर अभियोक्त्री की जन्म तिथि अंकित की गई है और कोई कोटवारी पंजी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोक्त्री का अस्थि जांच भी नहीं कराया गया है। अभियोक्त्री की आयु के संबंध में कोई विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है कि घटना की तिथि पर वह अवयस्क थी और उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी। विद्यालय दाखिल खारिज पंजी के लेखक के परीक्षण के अभाव में, अभियोक्त्री की आयु अवधारण हेतु इसपर विचार नहीं किया जा सकता है। विद्यालय दाखिल खारिज पंजी एक दुर्बल साक्ष्य है। घटना की तारीख पर उसकी वास्तविक आयु अवधारण हेतु अभियोजन द्वारा कोई कोटवारी पंजी या अस्थि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, कि वह 18 वर्ष से कम आयु की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अभियोक्त्री अ.सा.–01 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि दाखिल खारिज पंजी में उसकी जन्म तिथि त्रुटिपूर्ण 10.04.2001 दर्ज की गई है, जबकि उसकी वास्तविक जन्म तिथि 10.04.2000 है।

12. **अलामेलु व एक अन्य विरुद्ध राज्य, पुलिस निरीक्षक** द्वारा प्रस्तुत, **2011(2)एससीसी–385** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि शासकीय विद्यालय द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र और प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा। यद्यपि, ऐसे दस्तावेज़ की स्वीकार्यता अभियोक्त्री की आयु साबित करने के लिए बहुत साक्ष्यिक मूल्य की नहीं होगी, क्योंकि आयु दर्ज करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि का तब तक कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा जब तक कि उस व्यक्ति का परीक्षण न काराया जाए जिसने प्रविष्टि की है या जिसने जन्म तिथि दी है।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अलामेलु (पूर्वोक्त) में निर्णय के पैराग्राफ 40, 42, 43, 44 व 48 में निम्नानुसार अवधारित किया है:

"40. निस्संदेह, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, प्रदर्श पी.–16 से ज्ञात होता है कि बालिका की जन्म तिथि 15 जून, 1977 थी। अतः उपरोक्त प्रमाण पत्र के अनुसार भी, कथित घटना की तिथि यानी 31 जुलाई, 1993 को उसकी आयु 16 वर्ष (16 वर्ष 1 माह और 16 दिन) से अधिक होगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र शासकीय विद्यालय द्वारा जारी किया गया है तथा प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है। अतः यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा। यद्यपि, इस प्रकार के दस्तावेज की स्वीकार्यता बालिका की आयु साबित करने के लिए बहुत अधिक साक्ष्यिक मूल्य की नहीं होगी, क्योंकि उस सामग्री की अनुपस्थिति में जिसके आधार पर आयु दर्ज की गई थी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि का कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा जब तक कि उस व्यक्ति का परीक्षण न कराया जाए जिसने प्रविष्टि की या जिसने जन्म तिथि दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. किसी दस्तावेज़ में दर्ज तथ्यों को साबित करने के तरीके पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने बिराद मल सिंघवी विरुद्ध आनंद पुरोहित[1] के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया:–

"विद्यालय पंजी में उल्लिखित जन्म तिथि का कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है जब तक कि प्रविष्टि करने वाले या जन्म तिथि देने वाले व्यक्ति का परीक्षण न कराया जाए....केवल इसलिए कि दस्तावेज प्रदर्श. 8, 9, 10, 11 व 12 साबित हो गए, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दस्तावेजों की सामग्री भी साबित हो गई। केवल दस्तावेजों प्रदर्श. 8, 9, 10, 11 व 12 का साक्ष्य दस्तावेजों में दर्शाई गई सभी सामग्री या जन्म तिथि की शुद्धता के साक्ष्य के समान नहीं होगा। चूंकि तथ्य की सत्यता, यानी हुक्मी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की जन्म तिथि विवाद्यक थी, अतः उपरोक्त दो साक्षियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का साक्ष्य मात्र दस्तावेजों के तथ्यों या सामग्री की सत्यता का साक्ष्य नहीं देता। विवाद्यक में तथ्यों की सत्यता या अन्यथा, अर्थात् दस्तावेजों में उल्लिखित दो अभ्यर्थियों की जन्म तिथि स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए, अर्थात उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो विवाद्यक में तथ्यों की सत्यता की गारंटी दे सकते हैं। उत्तरवादी द्वारा तथ्यों की सत्यता साबित करने के लिए इस तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, अर्थात, हुक्मी चंद तथा सूरज प्रकाश जोशी की जन्म तिथि। परिस्थितियों में, उपरोक्त दस्तावेजों 1988 (पूरक) एससीसी 604 में उल्लिखित

जन्म तिथियों का कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है और इसमें उल्लिखित जन्म तिथियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

43. नर्बदा देवी गुप्ता विरुद्ध बीरेंद्र कुमार जायसवाल के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा विधि के इसी प्रस्ताव को दोहराया गया है, जहां इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:–

"विधिक स्थिति में कोई विवाद नहीं है कि न्यायालय द्वारा किसी दस्तावेज को मात्र प्रस्तुत करना और उसे प्रदर्शित करना ही उसकी विषय–वस्तु का उचित प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसका निष्पादन स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए, अर्थात "उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो में तथ्यों की सत्यता की गारंटी दे सकते हैं"।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"44. हमारे अभिमत में, अभियोजन द्वारा साक्ष्य का उपरोक्त भार नहीं उठाया गया है। पिता ने अपने साक्ष्य में स्थानांतरण प्रमाण–पत्र के बारे में कुछ नहीं कहा है। प्रधानाध्यापक का बिल्कुल भी परीक्षण नहीं कराया गया है। अतः बालिका की आयु निश्चित रूप से अवधारित करने हेतु स्थानांतरण प्रमाण–पत्र में प्रविष्टि का अवलंब नहीं किया जा सकता है।

48. हम आगे यह भी देख सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के संदर्भ में भी, एक लोक दस्तावेज़ को सिविल व दाण्डिक कार्यवाही में समान मानक लागू करके परखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में, रविंदर सिंह गोरखी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य [4] के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करना उचित होगा जिसमें निम्नानुसार अवधारित किया गया :–

“विद्यालय पंजी में दर्ज व्यक्ति की आयु या अन्यथा विभिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग की जा सकती है, जैसे प्रवेश प्राप्त करना; नियुक्ति प्राप्त करना; चुनाव लड़ना; विवाह का पंजीकरण; सीलिंग कानूनों के अधीन एक अलग इकाई प्राप्त करना; और यहां तक कि सिविल फोरम के समक्ष विचारण करने के प्रयोजन से भी जैसे कि अभिभावक द्वारा न्यायालय में प्रतिनिधित्व किए जाने की आवश्यकता या जहां कोई वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया जाता है कि वादी अवयस्क होने के कारण उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं किया गया या उसकी ओर से किया गया कोई भी

लेन–देन अवयस्क होने के कारण शून्य था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, वाद के पक्षकार की आयु अवधारण के प्रकरण से न्यायालय को समान मानक लागू करना होगा। अपहरण या बलात्संग के प्रकरण में या इसी प्रकार के अपराध में जहां पीड़ित या अभियुक्त के विरुद्ध कोई अलग मानक लागू नहीं किया जा सकता है। अभियोक्त्री ने यद्यपि अभियुक्त के साथ सम्मति व्यक्त की हो, परंतु यदि विद्यालय द्वारा निर्मित पंजी में की गई प्रविष्टियों के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय अभिलिखित किया जाता है, तो अभियुक्त संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएगा, क्योंकि उस प्रकरण में अभियुक्त को अन्यायपूर्ण सिद्धदोष किया जा सकता है।"

14. अभियोक्त्री, उसके पिता और अन्य अभियोजन साक्षियों के कथनों के परिशीलन तथा अभियोजन द्वारा एकत्र साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत, मैं पाता हूं कि अभियोजन द्वारा इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई भी ठोस व विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियोक्त्री घटना की तारीख को अवयस्क थी और उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी, इस तथ्य के बावजूद कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अभियोक्त्री को अवयस्क माना है। तदनुसार, यह न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों को खारिज करना उचित समझता है कि घटना की तारीख को पीड़िता अवयस्क थी क्योंकि अभियोजन द्वारा इसे ठोस व मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अभियोक्त्री अ.सा.–01 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वर्ष 2018 में अभियुक्त अपीलार्थी एक होटल में वेटर(बैरा) का कार्य करता था, उस समय अभियुक्त अपीलार्थी ने उसे एक मोबाइल फोन दिया था, जिससे वे दोनों एक दूसरे से बात करते थे। उसने यह भी व्यक्त किया कि उसने फ़ोन पर अभियुक्त अपीलार्थी से कहा था कि वह गरियाबंद में नहीं रहेगी, वह उसे यहाँ से ले जाए। अभियुक्त अपीलार्थी ने उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया, जिस पर अभियोक्त्री ने उससे कहा कि यदि वह उसे अपने साथ नहीं ले जाएगा, तो वह आत्महत्या कर लेगी। तत्पश्चात, दिनांक 06.07.2018 को अभियुक्त अपीलार्थी गरियाबंद आया और उसे अपने साथ ले गया। वे दोनों कुम्हारी के किसी होटल में रुके, जहाँ उनके मध्य शारीरिक संबंध बने और दिनांक 18.07.2018 को उसके चाचा और पुलिस उसे गरियाबंद ले जाने आए।

16. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक परीक्षण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अभियोक्त्री ने कहीं भी यह प्रकट नहीं किया है कि किसी भी समय अपीलार्थी ने उसके साथ कोई बलपूर्वक लैंगिक

संबंध बनाया है, बल्कि यह शारीरिक संबंध के लिए आपसी सम्मति थी। उसने कथन किया है कि वह स्वयं उसके साथ गई थी और कुछ दिनों तक उसके साथ रही। उसके चाचा एवं पुलिस ने उसे केवल उसके घर पहुंचाया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। इससे ज्ञात होता है कि वह सम्मति प्रदान करने वाली पक्षकार है और यहां तक कि चिकित्सक अ.सा.–09 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसे पीड़िता के शरीर और उसके गुप्तांग पर कोई आंतरिक व बाह्य चोट नहीं मिली। द्वितीयक लैंगिक अंग पूर्णतः विकसित थे तथा अभियोक्त्री लैंगिक संबंध बनाने की आदी थी।

17. इस प्रकार, प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विशेष रूप से अभियोक्त्री की आयु और आचरण के संबंध में साक्ष्य, इस न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोक्त्री की आयु सत्यापित नहीं है और अभियोजन द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि अभियोक्त्री घटना के समय अवयस्क थी और वह सम्मति प्रदान करने वाली पक्षकार थी तथा यह सहपलायन का प्रकरण भी है। अतः प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में, अपीलार्थी के विरुद्ध उपरोक्त धाराएं नहीं बनाई जाएंगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. **तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है**। दोषसिद्धि व दण्डादेश का निर्णय अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी की जेल में निरुद्ध होने की सूचना दी गई है। यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो तो उसे अविलंब मुक्त किया जाए।

19. इस निर्णय की एक प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय के अभिलेख (टीसीआर) को अनुपालनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु अविलंब संबंधित विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाए।

सही/–

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur